— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी गेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 4.2492 हैक्टेयर में से रकबा 5 बीघा पश्चिमि भाग, खसरा नम्बर 141 रकबा 1.1736 हैक्टेयर पूरा तथा खसरा नम्बर 143/253 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 11 बीघा पश्चिमि कोने का रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 तिलोकराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 143/253 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से 24 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 जमनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 4.2492 हैक्टेयर में से रकबा 21 बीघा 05 बीस्वा तथा खसरा नम्बर 143/253 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा उत्तरी पूर्वी कोने का भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 401/132 रकबा 3.0837 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 132 रकबा 4.2897 हैक्टेयर में से रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गडरिया के खेत खसरा नम्बर 132 रकबा 4.2897 हैक्टेयर में से रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा उत्तर का रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 भागिरथराम के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
7. वादी गेनाराम के हक बंट में गडरिया से धोलि नाडी बुरडी सड़क से गेनाराम के हिस्से में 15 फुट चोड़ा रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
8. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 26.8.22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner